

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

मांग संख्या 74

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	2146.29	212.02	2358.31	2052.63	275.93	2328.56	2298.98	277.17	2576.15	2408.69	247.77	2656.46
वसूलियां	-5.75	...	-5.75	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>2140.54</b>	<b>212.02</b>	<b>2352.56</b>	<b>2052.63</b>	<b>275.93</b>	<b>2328.56</b>	<b>2298.98</b>	<b>277.17</b>	<b>2576.15</b>	<b>2408.69</b>	<b>247.77</b>	<b>2656.46</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	178.15	8.35	186.50	219.28	12.18	231.46	214.47	15.54	230.01	240.61	12.07	252.68
2. संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय												
2.01 केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो	863.80	104.19	967.99	867.94	83.52	951.46	935.88	51.05	986.93	1003.14	67.91	1071.05
2.02 कर्मचारी चयन आयोग	616.76	1.10	617.86	415.97	2.18	418.15	583.02	1.90	584.92	513.15	2.00	515.15
2.03 केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण	132.39	17.06	149.45	134.29	23.43	157.72	143.64	23.02	166.66	149.50	15.12	164.62
2.04 प्रशिक्षण प्रभाग, सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी (एलबीएसएनएए)	101.37	3.70	105.07	95.62	7.43	103.05	94.97	4.85	99.82	99.56	6.43	105.99
2.05 केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) और लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी)	34.19	0.93	35.12	37.36	2.08	39.44	37.12	4.39	41.51	40.52	1.97	42.49
2.06 लोकपाल	16.75	45.98	62.73	18.30	15.02	33.32	24.13	43.52	67.65	31.18	13.14	44.32
जोड़- संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय	1765.26	172.96	1938.22	1569.48	133.66	1703.14	1818.76	128.73	1947.49	1837.05	106.57	1943.62
3. अखिल भारतीय सेवा (एआईएस) अधिकारियों को ऋण	...	0.63	0.63	...	2.00	2.00	...	1.00	1.00	...	2.00	2.00
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>1943.41</b>	<b>181.94</b>	<b>2125.35</b>	<b>1788.76</b>	<b>147.84</b>	<b>1936.60</b>	<b>2033.23</b>	<b>145.27</b>	<b>2178.50</b>	<b>2077.66</b>	<b>120.64</b>	<b>2198.30</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
4. प्रशिक्षण योजनाएं	30.63	17.56	48.19	56.17	64.39	120.56	33.20	106.40	139.60	49.97	68.49	118.46
5. राष्ट्रीय नागरिक सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम	81.66	5.00	86.66	77.93	8.20	86.13	104.60	5.40	110.00	109.36	0.64	110.00
6. प्रशासनिक सुधार योजना	36.88	...	36.88	80.00	...	80.00	69.90	0.10	70.00	97.00	3.00	100.00
7. पेंशनर्स पोर्टल	3.70	...	3.70	3.50	...	3.50	5.05	...	5.05	...	...	...
8. सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) और कार्मिक	...	7.52	7.52	...	55.50	55.50	...	20.00	20.00	...	55.00	55.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के अन्य संस्थानों के लिए एकीकृत भवन												
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>	<b>152.87</b>	<b>30.08</b>	<b>182.95</b>	<b>217.60</b>	<b>128.09</b>	<b>345.69</b>	<b>212.75</b>	<b>131.90</b>	<b>344.65</b>	<b>256.33</b>	<b>127.13</b>	<b>383.46</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
9. भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) और राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी)	42.80	...	42.80	29.07	...	29.07	35.50	...	35.50	51.50	...	51.50
10. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के स्वायत्त निकाय	4.00	...	4.00	14.60	...	14.60	14.90	...	14.90	20.20	...	20.20
<b>जोड़-स्वायत्त निकाय</b>	<b>46.80</b>	<b>...</b>	<b>46.80</b>	<b>43.67</b>	<b>...</b>	<b>43.67</b>	<b>50.40</b>	<b>...</b>	<b>50.40</b>	<b>71.70</b>	<b>...</b>	<b>71.70</b>
<b>अन्य</b>												
11. सूचना का अधिकार (आरटीआई)	3.21	...	3.21	2.60	...	2.60	2.60	...	2.60	3.00	...	3.00
12. वास्तविक वसूलियां	-5.75	...	-5.75	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>-2.54</b>	<b>...</b>	<b>-2.54</b>	<b>2.60</b>	<b>...</b>	<b>2.60</b>	<b>2.60</b>	<b>...</b>	<b>2.60</b>	<b>3.00</b>	<b>...</b>	<b>3.00</b>
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>	<b>44.26</b>	<b>...</b>	<b>44.26</b>	<b>46.27</b>	<b>...</b>	<b>46.27</b>	<b>53.00</b>	<b>...</b>	<b>53.00</b>	<b>74.70</b>	<b>...</b>	<b>74.70</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>2140.54</b>	<b>212.02</b>	<b>2352.56</b>	<b>2052.63</b>	<b>275.93</b>	<b>2328.56</b>	<b>2298.98</b>	<b>277.17</b>	<b>2576.15</b>	<b>2408.69</b>	<b>247.77</b>	<b>2656.46</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामान्य सेवाएं</b>												
1. न्याय प्रशासन	132.31	...	132.31	134.29	...	134.29	143.64	...	143.64	149.50	...	149.50
2. लोक सेवा आयोग	616.71	...	616.71	415.97	...	415.97	583.02	...	583.02	513.15	...	513.15
3. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	179.18	...	179.18	233.88	...	233.88	229.37	...	229.37	260.81	...	260.81
4. पुलिस	862.82	...	862.82	867.94	...	867.94	935.88	...	935.88	1003.14	...	1003.14
5. सतर्कता	16.75	...	16.75	18.30	...	18.30	24.13	...	24.13	31.18	...	31.18
6. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	332.77	...	332.77	382.25	...	382.25	382.94	...	382.94	450.91	...	450.91
7. पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	...	92.43	92.43	...	55.12	55.12	...	38.72	38.72	...	42.91	42.91
8. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	...	91.32	91.32	...	158.38	158.38	...	193.19	193.19	...	141.89	141.89
9. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	24.91	24.91	...	55.09	55.09	...	39.61	39.61	...	56.47	56.47
10. विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	2.73	2.73	...	5.34	5.34	...	4.65	4.65	...	4.50	4.50
<b>जोड़-सामान्य सेवाएं</b>	<b>2140.54</b>	<b>211.39</b>	<b>2351.93</b>	<b>2052.63</b>	<b>273.93</b>	<b>2326.56</b>	<b>2298.98</b>	<b>276.17</b>	<b>2575.15</b>	<b>2408.69</b>	<b>245.77</b>	<b>2654.46</b>
<b>अन्य</b>												
11. राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम	...	0.63	0.63	...	2.00	2.00	...	1.00	1.00	...	2.00	2.00
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>...</b>	<b>0.63</b>	<b>0.63</b>	<b>...</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	<b>...</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>...</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>2140.54</b>	<b>212.02</b>	<b>2352.56</b>	<b>2052.63</b>	<b>275.93</b>	<b>2328.56</b>	<b>2298.98</b>	<b>277.17</b>	<b>2576.15</b>	<b>2408.69</b>	<b>247.77</b>	<b>2656.46</b>

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के निम्नलिखित के संबंध में होने वाले व्यय हेतु है :

(क) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग जिसे नियम एवं विनियम बनाने/ब्याख्या करने; भर्ती, पदोन्नति और आरक्षण नीति; सिविल सेवाओं के सभी स्तरों के पदों/ग्रेडों हेतु प्रवेश, प्रशिक्षण और पुनश्चर्या कार्यक्रम; केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों, करिअर और जनशक्ति योजना, सतर्कता, अनुशासन और कल्याण संबंधी गतिविधियों; भ्रष्टाचार और अन्य गंभीर अपराधों के मामलों की जांच-पड़ताल और अभियोजन; सरकारी कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण संबंधी कार्य सौंपा गया है।

(ख) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग जिसे केन्द्रीय सरकारी अभिकरणों से जुड़ी शिकायतों सहित, प्रशासनिक सुधार, ओ. एण्ड एम. तथा नीति, समन्वय और शिकायतों के निवारण से संबंधित मामलों, सिविल सेवा दिवस, प्रधानमंत्री पुरस्कार, मुख्य सचिवों के सम्मेलन इत्यादि के आयोजन कार्य सौंपे गए हैं।

(ग) पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग जिसके द्वारा उपदान, पेंशन, पेंशनभोगियों के छुटपुट लाभ इत्यादि सहित सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं।

2.01. **केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो:** यह प्रावधान केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के स्थापना संबंधी व्यय के लिए है जिसे सरकारी कर्मचारियों, गैर-सरकारी व्यक्तियों, फर्मों तथा गंभीर अपराध के अन्य मामलों के अन्वेषण और अभियोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के प्रशिक्षण केन्द्रों के आधुनिकीकरण, तकनीकी एवं फारेंसिक सपोर्ट यूनिटों की स्थापना, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के लिए समग्र आधुनिकीकरण एवं कार्यालय/आवास परिसरों की भूमि की खरीद/निर्माण, आदि जैसी विभिन्न योजनाओं हेतु प्रावधान भी शामिल है।

2.02. **कर्मचारी चयन आयोग:** यह प्रावधान केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों इत्यादि के कर्मचारियों की भर्ती की परीक्षाओं के संचालन पर व्यय सहित कर्मचारी चयन आयोग के स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।

2.03. **केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण:** यह प्रावधान केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के स्थापना संबंधी व्यय के लिए है, जिसे केवल सरकारी कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) की विभिन्न न्यायपीठों के लिए भूमि की खरीद और भवन निर्माण संबंधी प्रावधान भी शामिल है।

2.04. **प्रशिक्षण प्रभाग, सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी (एलबीएसएनएए):** इस प्रावधान में सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) तथा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी (एलबीएसएनएए) एवं प्रशिक्षण प्रभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की स्थापना से संबंधित व्यय शामिल है। ये संस्थान कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिनमें बुनियादी (फाउण्डेशन) पाठ्यक्रम, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, करिअर मध्य प्रशिक्षण आदि शामिल होते हैं ताकि सभी स्तरों/ग्रेडों के सचिवालयीय पदधारियों को नवीनतम नियमों तथा विनियमों, अभिक्षमता आदि की पर्याप्त जानकारी दी जा सके जिससे केन्द्रीय सचिवालय सेवा/केन्द्रीय सचिवालय आधुनिकीकरण सेवा के कार्मिकों, जिन्हें अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए पूर्व शर्त के रूप में सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंधन संस्थान में अनिवार्य प्रशिक्षण पूरा करना होता है, के घरेलू/विदेशी यात्रा तथा पाठ्यक्रम शुल्क आदि पर होने वाले व्यय को भी इस मंत्रालय के बजट में केन्द्रीकृत रूप में शामिल किया गया है।

2.05. **केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) और लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी):** यह प्रावधान केन्द्रीय सूचना आयोग और लोक उद्यम चयन बोर्ड के स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।

2.06. **लोकपाल:** यह प्रावधान लोकपाल की स्थापना और निर्माण से संबंधित भारतिय व्यय के लिए है।

3. **अखिल भारतीय सेवा (एआईएस) अधिकारियों को ऋण:** यह प्रावधान राज्य सरकारों को अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को अदा किए गए भवन निर्माण अग्रिम भुगतान हेतु प्रतिपूर्ति के लिए है।

4. **प्रशिक्षण योजनाएं:** इसमें सभी के लिए प्रशिक्षण, विदेश में प्रशिक्षण के लिए घरेलू वित्तपोषण, एलबीएसएनएए का एक उत्कृष्टता केंद्र के रूप में उन्नयन, आईएसटीएम में प्रशिक्षण सुविधाओं में वृद्धि करना शामिल है।

5. **राष्ट्रीय नागरिक सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम:** यह प्रावधान राष्ट्रीय नागरिक सेवा क्षमता निर्माण के लिए कार्यक्रम-मिशन कर्मयोगी के लिए है।

6. **प्रशासनिक सुधार योजना:** इसमें प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के लिए योजना प्रावधान शामिल हैं। यह योजना सरकारी कार्यालयों के आधुनिकीकरण, प्रशासनिक सुधारों पर पायलट परियोजनाओं के लिए है जिसमें ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देना, सुशासन को प्रोत्साहन देना, सफलता से सीखना, सेवोत्तम आदि और लोक शिकायतों के निवारण के लिए व्यापक प्रणाली भी शामिल है।

7. **पेंशनर्स पोर्टल:** इसमें पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की योजना पेंशनभोगियों के पोर्टल हेतु आवंटन शामिल है।

8. **सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के अन्य संस्थानों के लिए एकीकृत भवन:** यह प्रावधान सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अन्य संस्थानों के एकीकृत भवन हेतु है।

9. **भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) और राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी):** इसमें भारतीय लोक प्रशासन संस्थान और राष्ट्रीय सुशासन केन्द्र को सहायता अनुदान आवंटन भी शामिल है।

10. **कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के स्वायत्त निकाय:** इस प्रावधान में गृह कल्याण केन्द्र, केन्द्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक और खेल बोर्ड तथा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को दी जानी वाली अनुदान सहायता शामिल है।

11. **सूचना का अधिकार (आरटीआई):** कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रचार के संबंध में निधि का आवंटन।